न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०– **एम०– 24/2023**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

26.6.2024

कृष्णा सिंह –बनाम– आलोक कुजूर वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०– 52/2023 दिनांक– 02.12.203 एवं **चैनपुर थाना** अप्राथमिकी काण्ड स0– **14/2023** दिनांक– **15.11.2023** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में (पूर्व का दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा– 107) धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए आवेदक कृष्णा सिंह, पिता– जगतपाल सिंह एवं पवन कुमार, पिता– कृष्णा सिंह दोनो ग्राम– लोरम्बा, थाना– चैनपुर, जिला– गुमला एवं प्रतिवादी **1.** आलोक कुजूर, पिता– ग्रेगोरी कुजूर **2.** विनोद तिर्की, पिता– स्व० मिखाईल तिर्की **3.** विपिन कुजूर, पिता– लिनूस कुजूर **4.** सुधीर लकड़ा, पिता– जेरोम लकड़ा, **5.** रोहित किण्डो, पिता– पॉलीकॉर्प किण्डो, **6.** मनोज मिंज, पिता– अंतोनिस मिंज, सभी ग्राम– लोरम्बा, थाना– चैनपुर, जिला– गुमला द्वारा पुराना विवाद एवं आपसी मनमुटाव को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। **थाना प्रभारी, चैनपुर** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की वैधानिक अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.12.20 07:54:01 +05:30
Location: 192.168.43.18

Scanned with ACE Scanner